

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश, शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,

प्रयागराज ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक:-19 मार्च,2019

विषय:- इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रथम फेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति के पत्र संख्या-इ0रा0वि0वि0/कु0का0/271/2018 दिनांक 16.11.2018, आपके के पत्र संख्या- इ0रा0वि0वि0 /कु0स0का0/141/2019 दिनांक 31.01.2019 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-51/सत्तर-4-2017-बी-5/2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-37/2018/591/सत्तर-4-201-बी-5/2016, दिनांक 29.03.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रथम फेज के निर्माण कार्य हेतु श्री राज्यपाल रू0 18,93,95,000/- (रूपये अठारह करोड़ तिरानवे लाख पन्चानबे हजार मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) निर्माण कार्यों का सम्यक परीक्षण किया जाए तथा उसकी आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पारदर्शिता के अनुसार ही कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता या पी0एल0ए0 में नहीं रखी जाएगी।
- (3) शासनादेश संख्या-51/सत्तर-4-2017-बी-5/2016, दिनांक 03.01.2017 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-73 के अंतर्गत लेखा शीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-31-जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाले जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा-1) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज ।
4. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्चा शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इलाहाबाद इकाई-2, प्रयागराज ।
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृत धनराशि का तत्काल ऑनलाइन **ग्रिड एलाटमेंट कर (बजट)** उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।